प्रेषक,

आञ्जनेय कुमार सिंह
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेवेल नोडल एजेन्सी,
परती भूमि विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर
अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, औरैया, आजमगढ़ , बरेली, बस्ती, बुलन्दशहर, देवरिया, एटा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर,हरदोई, हाथरस, अमरोहा (जे0पी0 नगर), कानपुर नगर, कौशाम्बी, मेरठ, मुज्जफर नगर, रामपुर,सहारनपुर, सम्भल, सन्तकबीरनगर, शाहजहॉपुर तथा, उन्नाव।

पत्र सं0– 195 /85–परती–2015/एसएलडीसी लखनऊ दिनांक31 मार्च,2015

विषय–समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में स्वीकृत परियोजनाओं के वाटरशेड वर्कफेज की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र सं0 के–11013/19/2013/आईडब्ल्यूएमपी (यूपी) दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि राज्य के बजट खाते में जमा की गयी जिसकी पुष्टि वित्त विभाग के केन्द्रीय सहायता अनुभाग द्वारा की गयी है। शासनादेश सं0–120/85–परती–2015–30(परती) /2014 दिनांक 27 जनवरी, 2015 द्वारा भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश तथा अनुमन्य राज्यांश को सम्मिलित करते हुए परियोजना मद के अन्तर्गत वाटरशेंड वर्क फेज की 50 प्रतिशत धनराशि में से कार्यमद में प्राविधानित 32.35 प्रतिशत धनराशि मे से पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि को घटाकर निम्न तालिका के कालम संख्या–10 में अंकित अवशेष धनराशि समेकित जल प्रबन्धन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से संबंधित डब्लूसीडीसी के परियोजनावार खोले गये खातों में अन्तरित की जा रही है :–

(धनराशि रू0 में)

S.N.	DISTRICT	PROJECT NAME	AREA	TOTAL PROJ. COST	Amount of WDW(32.35%) in Work Phase	Released Amount of WDW in Work Phase to WCDC		Amount to Release WCDC for WDW against Work Phase	
						%	Amount	%	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ALIGARH	IWMP-01	4959	59508000	19250838	18.084	10761427	14.266	8489411
2	AMBEDKAR NAGAR	IWMP-01	5085	61020000	19739970	14.914	9100523	17.436	10639447
3	AURIYA	IWMP-01	6177	74124000	23979114	18.084	13404584	14.266	10574530
4	AZAMGARH	IWMP-01	6839	82068000	26548998	14.914	12239622	17.436	14309376
5	BAREILLY	IWMP-01	5038	60456000	19557516	25.914	15666568	6.436	3890948
6	BASTI	IWMP-01	4571	54852000	17744622	18.084	9919436	14.266	7825186
7	BULANDSAHAR	IWMP-01	4229	50748000	16416978	25.914	13150837	6.436	3266141
8	DEOVRIA	IWMP-01	4304	51648000	16708128	18.084	9340024	14.266	7368104
9	ETAH	IWMP-01	4081	48972000	15842442	18.084	8856096	14.266	6986346
10	FATEHPUR	IWMP-01	5205	62460000	20205810	25.914	16185884	6.436	4019926

क्रमशः 2..पर

S.N.	DISTRICT	PROJECT NAME	AREA	TOTAL PROJ. COST	Amount of WDW(32.35%) in Work Phase	Released Amount of WDW in Work Phase to WCDC		Amount to Release WCDC for WDW against Work Phase	
						%	Amount	%	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	FIROJABAD	IWMP-01	5132	61584000	19922424	14.914	9184638	17.436	10737786
12	GAZIPUR	IWMP-01	4304	51648000	16708128	25.914	13384063	6.436	3324065
13	HARDOI	IWMP-01	5766	69192000	22383612	14.914	10319295	17.436	12064317
14	HATHRASH	IWMP-01	4039	48468000	15679398	18.084	8764953	14.266	6914445
15	AMROHA (J P NAGAR)	IWMP-01	5523	66276000	21440286	14.914	9884403	17.436	11555883
16	KANPUR NAGAR	IWMP-01	6696	80352000	25993872	25.914	20822417	6.436	5171455
17	KAUSHAMBI	IWMP-01	5126	61512000	19899132	25.914	15940220	6.436	3958912
18	MEERUT	IWMP-01	4779	57348000	18552078	18.084	10370812	14.266	8181266
19	MUJAFFARNAGAR	IWMP-01	6995	83940000	27154590	14.914	12518812	17.436	14635778
20	RAMPUR	IWMP-01	6768	81216000	26273376	14.914	12112554	17.436	14160822
21	SAHARANPUR	IWMP-01	6849	82188000	26587818	14.914	12257518	17.436	14330300
22	SAMBHAL	IWMP-01	6180	74160000	23990760	14.914	11060222	17.436	12930538
23	SAMBHAL	IWMP-02	5104	61248000	19813728	14.914	9134527	17.436	10679201
24	SANT KABIR NAGAR	IWMP-01	3666	43992000	14231412	25.914	11400087	6.436	2831325
25	SHAHJAHANPUR	IWMP-01	6926	83112000	26886732	14.914	12395324	17.436	14491408
26	UNNAO	IWMP-01	6820	81840000	26475240	25.914	21208018	6.436	5267222
	TOTAL			**1693932000**	**547987002**		**319382862**		**228604138**

(रू0 बाइस करोड़ छियासी लाख चार हजार एक सौ अड़तीस मात्र)

1. परियोजना मद की धनराशि जनपद स्तर पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 1222/54–1–2011/8(9)/2008 दिनॉक 19.12.2011 में दिये गये निर्देशानुसार जिलाधिकारी/अध्यक्ष डब्ल्यू0सी0डी0सी0 तथा परियोजना प्रबन्धक के नाम से खोले गये परियोजना के बचत खाते में जमा होगी। परियोजना मद की इस धनराशि का आहरण जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डब्ल्यू0सी0डी0सी0 एवं परियोजना प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षरो से किया जायेगा तथा लेखो का मिलान बैंक से नियमानुसार समय–समय पर कराया जायेगा।

2. परियोजना मद की धनराशि स्टेट लेबिल नोडल एजेन्सी, उ0प्र0 शासन को सूचित किये गये बैंक के परियोजना बचत खातो में रखा जायेगा तथा व्यय स्वीकृत मदो में ही स्वीकृत सीमा तक सुसंगत वित्तीय नियमों /आदेशों के अनुसार किया जायेगा। इस धनराशि को किसी अन्य बैक या किसी अन्य खातो में नही रखा जायेगा और न ही किसी प्रकार के सावधिजमा (अल्पकालीन/मध्यकालीन) खाते में रखा जायेगा।

3. धनराशि का आहरण एवं व्यय करते समय भारत सरकार द्वारा जारी कामन गाइड लाइन–2008 (यथा संशोधित–2011) तथा समय समय पर जारी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के खाता संचालन सम्बन्धी नियमो एवं निर्देशो का पालन किया जायेगा।

4. शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश एवं मॉगी गयी सूचनाओं को उपलब्ध कराने के साथ–साथ व्यय की गयी धनराशि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक मद वार सूचना भारत सरकार एंव शासन को एम.आई.एस. पद्धति से भारत सरकार की वेबसाइट iwmpmis.nic.in एवं विभागीय बेवसाइट http//upldwr.up.nic.in तथा शासन की E-mail Address-ddcellldwrlu-up@nic.in पर उपलब्ध करायी जायेगीं।

5. इस धनराशि का व्यय वेबसाइट पर उपलब्ध भारत सरकार के पत्र सं0 के–11013/19/2010/ आईडब्ल्यूएमपी (उ0प्र0) दिनांक 29–09–2010 एवं पत्र सं0

क्रमशः 3..पर

के–11013 / 19 / 2013 आईडब्ल्यूएमपी (यूपी) दिनॉक 31.12.2014 को भी संज्ञान में रख कर किया जायेगा।

6. जनपद में डब्ल्यू0सी0डी0सी0 स्तर पर चेकबुक रजिस्टर, ग्रान्ट रिसीब्ड रजिस्टर, ग्रान्ट डिस्टीब्यूशन रजिस्टर, वाटरशेड कमेटी एवं पी0आई0ए0 से प्राप्त यू0सी0 का रजिस्टर, मदवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का रजिस्टर तथा पी0आई0ए0 स्तर पर राज्य से प्राप्त ग्रान्ट रजिस्टर, डब्ल्यू0सी0डी0सी0 को प्रेषित यू0सी0 का रजिस्टर, बैंक समाधान विवरण रजिस्टर, वाटरशेड कमेटी से प्राप्त यू0सी0 का रजिस्टर, वित्तीय व भौतिक प्रगति एवं वाटरशेड कमेटी स्तर पर कैश बुक, कार्यालय व्यय रजिस्टर, वाउचर रजिस्टर, बैंक पासबुक, बैंक समाधान विवरण रजिस्टर, अग्रिम / समायोजन रजिस्टर, चेकबुक रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर, वाटरशेड सम्पत्ति से प्राप्त आय के विवरण का रजिस्टर, डब्ल्यू0डी0एफ0 एकाउन्ट रजिस्टर, रिवाल्विंग फण्ड रजिस्टर एवं वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का रजिस्टर आदि अभिलेखों का रख–रखाव सुनिश्चित कराई जायेगी।

7. इस धनराशि को वाहन / फोटो कापीयर मशीन / वी0डी0ओ0 रिकार्डर / प्रोजेक्टर / स्थायी भवन निर्माण अथवा अन्य किसी पूँजीगत मद में व्यय नही किया जायेगा।

8. एसएलएनए, बैक एंव डब्ल्यू0सी0डी0सी0 के मध्य त्रिपक्षीय अनुवन्ध (एम0ओ0यू0) कराया जायेगा जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी कामन गाइड लाइन–2008(यथा संशोधित–2011)तथा समय समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी खाता संचालन संबंधी नियमो एवं निर्देशों का अनुपालन करने तथा खाते में जमा अवशेष पर प्राप्त ब्याज की धनराशि की सूचना भारत सरकार एवं राज्य सरकार को त्रैमासिक आधार पर भारत सरकार की वेबसाइट iwmpmis.nic.in एवं विभागीय बेवसाइट http//upldwr.up.nic.in तथा शासन की E-mail Address- ddcellldwrlu-up@nic.in पर सूचित करने तथा अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी के हस्ताक्षर से धनराशि का आहरण / स्थानान्तरण नहीं करने का उल्लेख होगा।

9. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अगले वर्ष माह जुलाई के अन्दर लेखो का आडिट प्रदेश सरकार के द्वारा अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेट के पैनल से करवाकर आडिट रिपोर्ट एवं यू0सी दो प्रतियों में स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

10. जनपद स्तर पर समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी) जिलाधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित की जायेगी। वित्तीय, प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी सक्षम प्राधिकारी है।

11. भारत सरकार से अनुमोदित / प्रस्तावित परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायेगा और कार्य कराने से पूर्व उसका विस्तृत विवरण / आगणन / डीपीआर तथा कार्ययोजना जिसमें विशेष रूप से माईल्स्टोन तथा टाईम लाइन्स का समावेश करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदित कराते हुए परियोजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा।

12. अवमुक्त की जा रही धनराशि कुल परियोजना की स्वीकृत लागत का वाटरशेड वर्कफेज के कार्यमद की 32.35 प्रतिशत में से पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि घटाकर शेष धनराशि व्यय हेतु निर्धारित है।

13. प्रश्नगत कार्य कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि राज्य सरकार / भारत सरकार / अन्य किसी श्रोत से इस परियोजना हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही स्वीकृत हेतु प्रस्तावित है।

14. कार्य में प्रयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री आदि का कय स्टोर परचेज नियमों तथा समय समय पर जारी तत्संबंधी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार कराया जायेगा तथा

कमशः 4..पर

कार्य के अनुमान/आगणन पर यथाविधि सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

15. परियोजना में विशिष्टियों एवं मानकों के अनुसार समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

16. परियोजना के कार्यान्वयन में संबंधित जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त के साथ भी प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जायेगा और इनके द्वारा निरन्तर रूप से परियोजना की प्रगति का अनुश्रवण कर नियमित रूप से प्रगति से अवगत कराया जायेगा।

17. भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के निरीक्षण के समय जनपद स्तर /पीआईए स्तर पर/डब्ल्यू सी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेखों एवं बैंक खातों के निरीक्षण हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जायेगें तथा निरीक्षण में अपेक्षित सहयोग प्रदान कराया जायेगा ।

18. परियोजना के लिए स्पष्ट रूप से क्षेत्र/लाभार्थी को अभिज्ञानित कर जनमानस के लिए सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा ताकि स्थानीय जनमानस के सहयोग से द्विरावृत्ति को रोका जा सके। साथ ही विभागीय अधिकारियों के साथ ही थर्ड पार्टी निरीक्षण/सत्यापन भी अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त परियोजना के कार्यान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जायेगी।

19. परियोजना कार्यान्वयन हेतु आवंटित धनराशि को 15 दिन के अन्दर कार्यदायी संस्थाओं/ पीआईए तथा डब्ल्यूसी को नियमानुसार अवमुक्त किया जायेगा ।

20. यह धनराशि ग्रान्ट रजिस्टर के पृष्ठ सं0 07 पर क्रमांक 41 एवं 42 पर अंकित धनराशि में से निर्गत की जा रही है।

कृपया उपरोक्त धनराशि की प्राप्ति स्वीकार करते हुये प्राप्ति रसीद/पुष्टि प्रमाण–पत्र एवं शासन के फैक्स सं0 0522–2238425 एवं एस0एल0एन0ए0 के फैक्स सं0 0522–4005337 अथवा E-mail Address- sldcldwrlu-up@nic.in पर तत्काल प्रेषित करवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या– (1)/85–परती–2015/एसएलएनए तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1. संयुक्त सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 11 वां ब्लाक, छठा तल, सी0जी0 ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई एव जल संसाधन विभाग/परती भूमि विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
4. राज्य योजना आयोग–1/नियोजन अनुभाग –3/वित्त(व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–1
5. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
6. अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना, 23 सी ,गोखले मार्ग, लखनऊ।
7. अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना,

क्रमशः 5..पर

पाण्डुनगर, कानपुर।

8. संयुक्त निदेशक, समादेश बंधु, सिचांई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी, गोमतीनगर, लखनऊ।
10. संबंधित उप निदेशक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
11. भूमि संरक्षण अधिकारी,सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, औरैया, आजमगढ़ , बरेली, बस्ती, बुलन्दशहर, देवरिया, एटा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, हरदोई, हाथरस, अमरोहा, कानपुर नगर, कौशाम्बी, मेरठ, मुज्जफर नगर, रामपुर, सहारनपुर, सम्भल, सन्तकबीरनगर, शाहजहॉपुर तथा, उन्नाव।
12. प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट लेविल डाटा सेन्टर ,एल्डिको कॉरपोरेट टावर, आठवॉ तल, कक्ष संख्या–801 से 804 प्लाट न0–टीसी–13/वी–16, पावर हाउस क्रासिंग (पूर्वी हिस्सा), आपोजिट मण्डी, परिषद विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ को इस निर्देशों के साथ कि आदेश को विभागीय वेबसाइट http//upldwr.up.nic.in पर अपलोड़ कराना सुनिश्चित करें।
13. एन0आई0सी0 की प्रति।
14. गार्ड फाइल।

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी